भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1944

11 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

एनएमडीसी और केआईओसीएल का प्रस्तावित विलय

1944. कैप्टन बृजेश चौटा:

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) और कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी लिमिटेड (केआईओसीएल) के प्रस्तावित विलय की समय-सीमा क्या है;

(ख) क्या प्रस्तावित विलय में किन्हीं समस्याओं के कारण देरी हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त विलय की गई इकाई इस्पात क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पहल में किस प्रकार योगदान देगी; और

(घ) प्रस्तावित विलय का दोनों कंपनियों के स्थायी और संविदा कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और विलय की जाने वाली इकाई में मौजूदा कर्मचारियों का निर्बाध समेकन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (घ): निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के तहत नोडल विभाग है, जो निजीकरण या विलय अथवा सब्सिडी प्रदान करने हेतु केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) के विषय-वस्तु से संबंधित है, ने सूचित किया है कि वर्तमान में, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) और कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी लिमिटेड (केआईओसीएल) के विलय के संबंध में ऐसा कोई निर्णय नहीं है।

******